

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/(एस-83/2023)/अलेसे-III/10458

दिनांक :- 30.12.2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव नियुक्त कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	आयोजक संस्था	नाम परीक्षा	वर्तमान कार्यालय
1.	सूरज पाल (रोल नं. 709078)	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर	एम.ए. प्रीवियस-2026 हिन्दी (स्वयं पाठी)	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित नियम शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/(एस-83/2023)/अलेसे-III/10458

दिनांक :- 30.12.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री सूरज पाल, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 709078) कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2025.12.30 19:01:42 IST
Reason: Approver

RajKaj Ref No.:

19582434

eSign 1.0

